गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
Ghaziabad Development Authority

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित 2000.00 वर्ग मीटर व उससे अधिक क्षेत्रफल के ग्रुप हाउसिंग एवं अनावासीय भूखण्डों को टू–बिड सिस्टम निविदा/नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु नियम एवं शर्ते

1.0 भूखण्डों का विवरणः
विक्रय हेतु प्रस्तावित भूखण्डों का विवरण तालिका–1में अंकितहै।

2.0 निविदादाता हेतु सामान्य निर्देशः

2.1 निविदादाता को टू बिड सिस्टम निविदा/नीलामी के अन्तर्गत अपनी निविदा समुचित आकार के सीलबन्ण्द लिफाफे में जमा करनी होगी।

2.2 भूखण्ड हेतु कोई भी वैध व्यक्ति, भारतीय कम्पनी अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म/कम्पनीयां/सोसायटी टू–बिड सिस्टम निविदा/नीलामी में भाग लेने हेतु अधिकृत हैं। उक्त वैध व्यक्ति/फर्म/कम्पनीयां/सोसायटी के पक्ष में भूखण्डों का अनुबन्ध/विक्रय विलेख निष्पादित किया जायेगा। उपरोक्त वर्णित वैध व्यक्ति/कम्पनी/फर्म/सोसायटी आदि के पंजीकृत कन्सोर्शियम भी निविदा में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा भूखण्ड आवंटन की दशा में इनको एक स्पेशल परपज कम्पनी (एस0पी0सी0) गठित करनी होगी। भूखण्ड का विक्रय विलेख/विक्रय अनुबन्ध एस0पी0एस0 के पक्ष में निष्पादित कर दिया जायेगा। प्रस्तावित कम्पनीयां, गैर पंजीकृत फर्म तथा ज्वाइंट हिन्दू फेमिली के नाम सम्पत्ति विक्रय नहीं की जायेगी। एक बार आवंटन के पश्चात वैध व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/सोसायटी का नाम परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

2.3 हैल्थ सैन्टर भूखण्ड की निविदा हेतु मेडिकल काउन्सिल ऑफ इन्डिया द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सक अथवा हॉस्पिटल संचालित करने हेतु गठित कम्पनी/सोसायटी/फर्म ही आवेदन के पात्र होगें।

TERMS AND CONDITION FOR ALLOTMENT OF GROUP HOUSING AND NON-RESIDENTIAL PLOTS OF 2000 SQ. MTR. AND ABOVE THROUGH TWO-BID SYSTEM IN VARIOUS SCHEMES OF GDA.

1.0 Details of proposed plots are givin in table-1.

2.0 GENERAL INSTRUCTION TO THE BIDDER:

2.1 The bid shall be submitted under two bid system tendor/auction in accordance with the procedure in envelope of appropriate size which shall be duly sealed.

2.2 Any Juristic person/companies/societies/firm duly registered under the Indian company Act or such other Act are eligible to participate in the two bid system tender to get agreement / freehold deed executed in their favor. Registered consortium of above mentioned juristic person/companies/firms/societies are also eligible to participate in the tender and in case the plot is allotted to them, they form a Special Purpose Company (SPC). Execution of sale deed will be made in favor of SPC. Bids on behalf of proposed companies, unregistered firms and joint Hindu of family shall not be allowed. Any change in the name juristic person/firms/company/society will not be allowed after allotment.

2.3 Only Registered Medical Practitioners affiliated by Medical Council pf India or Firms/Society/Company duly Registered under the Indian Companies Act or such other Act may participate for allotment of Health Center Plot in proposed tender.

2.4 Purchaser shall get freehold rights in the plot, provided that the freehold right shal be subject to architectural control prescribed by the GDA/Ground Coverage & FAR as given in Table-1 Other terms and condition will be as per building bye laws.

2.5 Bid documents are to be submitted in two envelopes, envelope No-1 shall contain technical bid and envelope No-2 for price bid. All the relevant documents are to be submitted with each envelope.

2.4 भूखण्डों को फ्री–होल्ड आधार पर विक्रय किया जायेगा। फ्री–होल्ड अधिकार निस्तारण के समय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कन्ट्रोल डिजाईन/तालिका–1 में अंकित भू–आच्छादन एवं एफ.ए. आर के अधीन होगा। अन्य प्रतिबंध भवन निर्माण उपविधि के अनुसार लागू होगें।

2.5 निविदा दो अलग–अलग सीलबन्द लिफाफों में, लिफाफा नं. –1 में तकनीकी बिड तथा लिफाफा नं.–2 में प्राईस बिड जमा करनी होगी। दोनों लिफाफों के साथ नीचे दिये गये विवरण के अनुसार सभी आवश्यक प्रपत्र संलग्न करने होंगें।

3.00 **जमा कराये जाने वाले प्रपत्रों की सूची:**
लिफाफे के साथ जमा कराये जाने वाले प्रपत्रों की सूची निम्न प्रकार है–

3.1 लिफाफा नं.–1 (तकनीकी बिड)

3.1.1 तालिका नं.–1 के अनुसार धरोहर राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट/पे–आर्डर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय, संलग्न करना होगा। प्रोसेसिंग फीस रूपये 1,00,000.00 (रूपये एक लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय, साथ में अतिरिक्त संलग्न करना होगा। प्रोसेसिंग फीस न तो किसी भी दशा में वापस की जायेगी एवं न ही मूल्य आदि में समायोजित की जायेगी।

3.1.2 पूर्ण रूप से भरा हुआ तकनीकी निविदा आवेदन प्रपत्र उपबन्ध 3.1.3 से 3.1.5 तक वर्णित सभी संलग्नकों सहित सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।

3.1.3 निविदादाता को पिछले तीन वित्तीय वर्षों का रीयल एस्टेट/निर्माण क्षेत्र गतिविधियों/सम्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत किये गये कार्य के टर्नओवर का विस्तृत विवरण स्थानिक सम्प्रेक्षक/चार्टर्ड एकाउन्टेट द्वारा सत्यापित कराते हुए तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना होगा।

3.1.4 ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के निविदादाताओं द्वारा सन्तोषजनक रूप से पूर्ण की गयी परियोजनाओं की सूची, सम्पूर्ति प्रमाण पत्र/शमन स्वीकृत प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

3.1.5 स्थानिक सम्प्रेक्षक/चार्टर्ड एकाउन्टेट से सत्यापित नेटवर्थ स्टेटमेंट तथा राष्ट्रीयकृत/शिड्यूल बैंक द्वारा जारी सॉल्वेन्सी प्रमाण पत्र–(जो कि 6 माह से अधिक पुराना न हो), संलग्न करना होगा।

3.1.6 **नेटवर्थ की गणना निम्न प्रकार की जायेगी**

(ए) यदि निविदादाता एक कम्पनी है तो नेटवर्थ की गणना पेड–अप शेयर कैपिटल (शेयर ऐप्लिकेशन राशि के अतिरिक्त) एवं रिजर्व एवं सरप्लस (रिवेल्यूएशन रिजर्व के अतिरिक्त) को जोड़कर इसमें से प्रिलिमिनरी एवं प्रि–ऑपरेटिव खर्च, अन्य खर्चे, एक्यूमिलेटिड लॉस, इन्टेन्जिबिल एसैट्स को घटाते हुए की जायेगी।

(बी) यदि निविदादाता पार्टनरशिप फर्म है तो नेटवर्थ की गणना प्रत्येक पार्टनर के फर्म में कन्ट्रीब्यूशन को जोड़ते हुए इसमें से इन्टैन्जिबिल एसैट्स को घटाते हुए की जायेगी।

(सी) यदि निविदादाता वैध व्यक्ति/ कम्पनी/फर्म/सोसायटी के पंजीकृत कन्सोर्शियम है तो नेटवर्थ की गणना कन्सोर्शियम के लीड मेम्बर तथा सभी रिलीवेन्ट मेम्बर्स की नेटवर्थ संयुक्त से जोड़ते हुए की जायेगी ।

3.00 **LIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED:**
The details of documents to be submitted with each envelop are given below:-

3.1 Envelope No.-1 (technical Bid)

3.1.1 Earnest money as per Table No. 1 in shape of demand draft/pay order in favour of Vice Chairman. Ghaziabad Development Authority should be attached. A demand draft/pay order in favour of Vice Chairman. Ghaziabad Development Authority of processing fee Rs. 1,00,000.00 (Rupees One lakh only) has to be attached compulsory with envelope no.-1 Processing fee is neither refundable nor adjustable with cost etc.

3.1.2 Duly filled up technical Bid (pre-qualification documents) has to be submitted in sealed Envelope with all enclosures mentioned in para from 3.1.3 to 3.1.5.

3.1.3 Details of turn-over from real estate/construction Activities/work activities in concerning field for the last three years certified by the statutory auditors/chartered accountants of the company should be submitted along with technical bid.

3.1.4 List of projects satisfactorily completed alongwith the copy of completion certificate/ compounding approval certificate should be submitted alongwith technical bid for Group Housing Plot tender holders.

3.1.5 Net worth statement certificate duly attested by statutory auditors/chartered accountant and solvency certificate (not more than six months old) issued by a nationalized/ scheduled bank should be submitted along with technical bid.

3.1.6 **Net worth calculation shall be done as below:**

(a) In case of company, net worth will be equal to paid up share capital(excluding share application money) plus reserves and surplus (excluding revaluation reserves) less preliminary and pre-operative expenditure, less miscellaneous expenditure to the extent not written off, less accumulated losses, less intangible assets.

(b) In case of partnership firm, the contribution by each partner taken together in the capital of the firm shall be considered as net worth of partnership firm excluding intangible assets, if any.

(c) In case of registered consortium of juristic person/companies/ firms/societies, the net worth of lead member and all relevant members taken together jointly shall be considered as net worth of the consortium.

3.1.7 Tenderer has to submit list of projects in hand at present and the status of their implementation, cost incurred and expected time of completion of each project separately, organization chart, list of staff, details of in-house, architectural facilities, list of structural consultants/engineers used during

3.1.7 ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के निविदादाताओं को वर्तमान में उनके द्वारा निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं की सूची, उनकी वर्तमान प्रगति, मूल्य, अनुमानित कम्पलीशन टाइम, ऑर्गनाइजेशन चार्ट, स्टाफ का विवरण तथा निविदादाता द्वारा विगत 3 वर्षों में परियोजना हेतु सेवा में लिये गये वास्तुविद्, संरचना सलाहकार तथा अभियंताओं की सूची भी तकनीकी बिड के साथ संलग्न करनी होगी।

3.2 **लिफाफा नं.–2 (प्राइस बिड)**

3.2.1 तकनीकी रूप से अर्ह पाये जाने पर पत्र के माध्यम से अवगत करायी गयी तिथि को पूर्ण रूप से भरा हुआ खुली नीलामी हेतु मूल रूप में आवेदन पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा। तदोपरान्त बोली में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी।

3.2.2 निविदादाता को निविदा दर अंकों तथा शब्दों में लिखना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त की जा सकती है। अंकों तथा शब्दों में निविदा दर भिन्न होने की स्थिति में शब्दों में लिखी गयी निविदा दर मान्य होगी।

4.00 **निविदा खोलने की प्रक्रिया:**

4.1 सर्वप्रथम लिफाफा नं.–1 में प्रस्तुत तकनीकी बिड जिसमें कि धरोहर राशि, प्रोसेसिंग फीस के बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर तथा सभी आवश्यक प्रपत्र रखें होंगे, निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा।

4.2 केवल तकनीकी बिड अर्ह स्वीकृत निविदादाताओं की प्राइस बिड खोली जायेंगी। तकनीकी बिड में अर्ह निविदादाताओं को खुली नीलामी के माध्यम से बोली देने हेतु उनको पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। सूचित तिथि व समय पर प्राइस बिड खोली जायेगी/बोली देनी होगी एवं उनके द्वारा दिये गये ऑफर के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

5.00 **आवश्यक योग्यता**

5.1 "ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के निविदादाताओं द्वारा कम से कम एक ऐसी परियोजना पूर्ण की गयी हो, जो आबंटित भूखण्ड पर प्रस्तावित परियोजनाओं के समान अथवा अधिक क्षेत्रफल की हो। व्यवसायिक सह आवासीय मिश्रित भू–उपयोग के भूखण्डों के प्रकरण में निविदादाता द्वारा व्यवसायिक अथवा ग्रुप हाउसिंग अथवा मिश्रित भू–उपयोग की समान या उससे अधिक क्षेत्रफल पर परियोजना पूर्ण की हो।

अथवा

ग्रुप हाउसिंग/व्यवसायिक/मिश्रित भू–उपयोग के भूखण्डों के प्रकरण में समान अथवा अधिक क्षेत्रफल के भखूण्डों पर शासकीय/गैर शासकीय भवन का निर्माण पूर्ण किया हो। निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित शासकीय संस्थान से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। गैर शासकीय निर्माण के सम्बन्ध में संस्था से प्राप्त प्रमाण पत्र के साथ–साथ सम्बन्धित प्राधिकरण/निकाय से जारी सम्पूर्ति प्रमाण पत्र/शमन मानचित्र की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करना होगा। इन भू–उपयोगों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के भू–उपयोग के भूखण्डों में उक्त शर्तें लागू नहीं होगी।"

the last three years along with technical bid.

3.2 **Envelope No.-2 (Price Bid)**

3.2.1 Open auction form duly filled in all respect has to be submitted by the technically qualified Tenderer to participate in open auction on the date informed through letter by authority.

3.2.2 Tenderers are advised to quote their rates in words also as well as in figures, otherwise bid can be cancelled. If quoted rates are different in figures and words then rates quoted in words will be valid.

4.00 **PROCEDURE TO OPEN THE BIDS:**

4.1 Technical Bid in Envelope No.1 containing the earnest money deposits along with processing fee and the pre-qualification documents shall be opened before committee and present tenderers first on prescribed date and time.

4.2 Only technically qualified bidder will be informed by letter for the date and time to give Price bid/auction rates. First of all auction rates for the particular property will have to give, after that sealed price bid will have to be open and the rates will be read out.

5.00 **ESSENTIAL QUALIFICATIONS:**

5.1 For Group Housing plots Tenderers/Bidders must have completed minimum one project, which should be equal or more area of land to applied plot. For other type of plots this condition is not applicable. In case of commercial cum residential mix land use plot, Tenderers/Bidders must have completed minimum one Group Housing or Commercial or Mix use project, which should be equal or more area of land to applied plot.

OR

For Group Housing/Commercial/Mix land use plots Tenderers/bidder must have completed building project of minimum area equivalent or more. In this respect a certificate is to be submitted issued by Government/semi Government Department. In case of construction other than Government Sector, then a completion certificate/compound map issued by concerned Development Authority/Local body has to be submitted.

5.2 **वित्तीय पात्रता : क्र. सं.**

क्र. सं. S.No.	विवरण PARAMETER	आवश्यकता REQUIREMENT
1	निविदादाता के स्थानिक सम्प्रेक्षक/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से सत्यापित गत वित्तीय वर्ष की न्यूनतम नेटवर्थ।	तालिका नं०-1 में अंकित धरोहर राशि का 5 गुना
2	राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी न्यूनतम सॉल्वेन्सी प्रमाण-पत्र (जो कि 6 माह से अधिक पुराना न हो।)	तालिका नं०-1 में अंकित धरोहर राशि का 5 गुना
3	निविदादाता के स्थानिक सम्प्रेक्षक/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से सत्यापित रीयल स्टेट गतिविधियों/सम्बन्धित क्षेत्र में किये गये कार्य का गत 3 वर्षों का न्यूनतम कुल टर्नओवर	तालिका नं०-1 में अंकित धरोहर राशि का 10 गुना

5.3 निविदादाता को समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार अन्य विशिष्ट नियम व शर्तों का भी पालन करना होगा।

6.00 आवेदन कैसे करे:

6.1 किसी भी फर्म/संस्था/कम्पनी या इनके कन्सोर्शियम को टू बिड सिस्टम से निविदा में भाग लेने की अनुमति तभी दी जायेगी जब वह तालिका-1 के अनुसार निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर, जो कि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय एवं गाजियाबाद में भुगतान योग्य हो, तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ निविदा बॉक्स में डालेगा। इसके साथ-साथ प्रोसेसिंग फीस रूपये 1,00,000.00 (रूपये एक लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय, साथ में अतिरिक्त संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। निविदा आवेदन पत्र रू. 5500.00 के भुगतान पर किसी भी कार्य दिवस में समाचार पत्रों में विज्ञापित तिथियों में व्यवसायिक अनुभाग से प्राप्त किया जा सकता है।

6.2 निविदादाता को अपनी निविदा दो अलग-अलग सीलबन्द लिफाफों, तकनीकी बिड (लिफाफा नं.-1) व प्राइस बिड (लिफाफा नं.-2) में देनी होगी। इस लिफाफो के ऊपर तकनीकी बिड व प्राइस बिड स्पष्ट रूप से अंकित होगा। यह दोनों लिफाफे एक बड़े सीलबन्द लिफाफे में रखकर निविदा बॉक्स में निर्धारित तिथि व समय पर डालना होगा, जिस पर स्पष्ट रूप से योजना एवं भूखण्ड का नाम अंकित होगा।

6.3 तकनीकी बिड (लिफाफा नं.-1) के साथ निविदादाता को धरोहर राशि एवं प्रोसेसिंग फीस का अलग-अलग डिमान्ड ड्राफ्ट/पे-आर्डर के साथ-साथ निबन्धन प्रमाण पत्र, मेमोरेन्डम एण्ड ऑर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कम्पनी के डायरेक्टरों की सूची, शेयर होल्डरों की सूची, विगत तीन वर्षों की आडिटेड वार्षिक रिपोर्ट, बोर्ड रिजोल्यूशन, आथोराईजेशन लेटर, पंजीकृत पार्टनरशिप डीड (यदि पार्टनरशिप फर्म है तो), नेटवर्थ स्टेटमेंन्ट, टर्नओवर प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति भी संलग्न करनी होगी।

6.4 कम्पनी/फर्म/सोसायटी आदि के पंजीकृत कन्सोर्शियम द्वारा भूखण्ड आवेदन करने की दशा में:

6.4 (ए) पंजीकृत कन्सोर्शियम के सदस्यों को एक लीड मैम्बर नियुक्त करना होगा जो कि प्राधिकरण से किसी भी प्रकार की कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकृत हो। लीड मैम्बर का शेयर 26 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। प्राधिकरण द्वारा

5.2 **FINANCIAL ELIGIBILITY CRITERIA.**

S.No.	PARAMETER	REQUIREMENT
1	Minimum Net worth as on the last financial year duly certified by the statutory auditors/chartered accountants of the tenderers.	Five times of the Earnest money given in Table No.-1
2	Minimum Solvency certificate (not more than 6 months old) issued by a nationalized/scheduled bank.	Five times of Earnest Money given in Table No.-1
3	Minimum Total turnover from real estate activities/work activities in concerning field for last three accounting years dully certified by the statutory auditors/chartered accountants of the bidders.	Ten times of the Earnest Money given in Table No.-1

5.3 Tenderers/Bidders have to fulfill and follow the specified terms and conditions also as published in the advertisement.

6.00 HOW TO APPLY-

6.1 No Firm/society/ company or their consortium shall be permitted to participate in the tender through two bid system unless he deposits bank draft/pay-order in favor of Vice Chairman, Ghaziabad Development Authority, payable at Ghaziabad as earnest money given in table No.-1 as well as processing fee (Non Refundable) of Rs. 1,00,000.00 (Rupees One Lakh Only) along with technical bid in tender box. Application forms can be obtained on payment of Rs. 5500/- only on any working day as published in newspaper from commercial section of Ghaziabad Development Authority.

6.2 Two separate envelopes should contain technical qualification bid (Envelope No. 1) and Price bid (Envelope No. 2) and respectively, both of these envelopes should be sealed and super scribed as technical bid (Envelop No.1) and Price bid (Envelop No.-2) should be put into one large envelope, which should be super-scribed with name and scheme of the plot. This envelope should also be sealed before putting it in to tender box on prescribed date and time.

6.3 Tenders must be submit certified true copies of registration, memorandum and articles of association, list of directors, list of share holders, annual audited reports for last three years, board resolutions, authorization letter, partnership deed (in case of partnership firm) net worth statement, turnover certificate bank solvency certificate and experience certificate as well as demand draft/pay-order of earnest money and processing fee separately along with technical bid (Envelop No—1)

6.4 In case of plot is applied by a registered consortium of companies/firms/societies:-

6.4(a) Members of consortium will have to specify one

कन्सोर्शियम के लीड मैम्बर की शेयर होल्डिंग, प्रोजेक्ट के कम से कम एक फेस के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र जारी होने तक परिवर्तित नहीं की जायेगी। कन्सोर्शियम के प्रत्येक सदस्य जिनकी शेयर होल्डिंग 10 प्रतिशत से कम ना हो, कन्सोर्शियम के रिलीवेन्ट मैम्बर होंगे। कन्सोर्शियम के लीड मैम्बर को भारतीय कम्पनी अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत भारत में पंजीकृत होना आवश्यक है।

6.4 (बी) पंजीकृत कन्सोर्शियम के लीड मैम्बर तथा सभी रिलीवेन्ट मैम्बर्स निविदा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता को संयुक्त रूप से पूर्ण करेंगे।

6.4 (सी) पंजीकृत कन्सोर्शियम द्वारा आवेदन की दशा में इसके मैम्बर्स निविदा में भूखण्ड के आवेदन हेतु एक मेमोरेण्डम ऑफ एग्रीमेंट (एम.ओ.ए.) प्रस्तुत करेंगे, जिसमें भूखण्ड आवंटित होने की दशा में कन्सोर्शियम में धन की उपलब्धता तथा प्रोजेक्ट पूर्ण किये जाने हेतु प्रत्येक मैम्बर की भूमिका एवं दायित्व का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। एम.ओ.ए. में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित करना होगा कि प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु कन्सोर्शियम के सभी मैम्बर संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। एम.ओ.ए. मूलरूप में प्रस्तुत किया जायेगा, जो कि सक्षम अथोरिटी से नियमानुसार रजिस्टर्ड / नोटराईज्ड होगा।

6.4 (डी) पंजीकृत कन्सोर्शियम के सदस्य एक रजिस्टर्ड / नोटराईज्ड मेमोरेण्डम एग्रीमेन्ट (एम.ओ.ए.) प्रस्तुत करेंगे, जिसमें भूखण्ड हेतु संयुक्त रूप से आवेदन किये जाने का उल्लेख होगा एवं भूखण्ड आवंटन की दशा में एक स्पेशल परपज कम्पनी जो कि एस.पी.सी. कहलायेगी, गठित की जायेगी। यह एस.पी.सी. आवंटी के रूप में अपने सभी उत्तरदायित्वों को पूर्ण करेगी। रजिस्टर्ड एम.ओ.ए. में कन्सोर्शियम के प्रत्येक सदस्य की प्रस्तावित एस.पी.सी. में कितनी शेयर होल्डिंग होगी, इसका स्पष्ट उल्लेख होगा। एस.पी.सी. को भारत में सक्षम अथॉरिटी से एक कम्पनी के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

6.4 (ई) भूखण्ड का विक्रय विलेख स्पेशल परपज कम्पनी (एस.पी.सी.) जो कि एक रजिस्टर्ड फर्म या कम्पनी होगी, के पक्ष में निष्पादित किया जायेगा। कन्सोर्शियम के लीड मैम्बर को एम.ओ.ए. के अनुसार अपनी शेयर होल्डिंग प्राधिकरण द्वारा प्रोजेक्ट के कम से कम एक फेस के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र जारी होने तक रखनी होगी।

7.00 **निविदा प्रक्रियाः**

7.1 आवेदक समाचार पत्र में प्रकाशित तिथि को दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक सीलबन्द लिफाफे में उपरोक्त धारा–6 के अनुसार अपनी तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्राधिकरण सभागार में रखे निविदा बॉक्स में डालेंगे।

7.2 सभी प्राप्त तकनीकी बिड का परीक्षण उपाध्यक्ष द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा तथा तकनीकी बिड स्वीकृत निविदादाताओं की सूची जारी की जायेगी। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम एवं सभी निविदादाताओं को मान्य होगा।

lead member who alone shall be authorized to correspond with the Authority. Lead member should be the single largest share holder having at least 26% share in the consortium. The share holding of the lead member in the consortium shall remain unchanged till the temporary occupancy/completion certificate of at least one phase of the project is obtained from the Authority. Each member of the consortium with a stake at least 10% will be considered as the relevant member. The lead member of the consortium must necessarily be a firm/company registered in India with appropriate statutory authority.

6.4(b) The lead member & the relevant member should together jointly qualify the minimum requirement of net worth, solvency, turn-over and experience.

6.4(c) In case of consortium, the members shall submit a memorandum of Agreement (MOA) conveying their intent to jointly apply for the scheme, and in case the plot is allotted to them, the MOA shall clearly define the role and responsibility of each member in arranging the debt and equity for the project and its implementation. The MOA should state that all the members shall be jointly and severally responsible for successful implement of the project. MOA should be submitted in original duly registered/notarized with appropriate authority.

6.4(d) The member shall submit a registered/notarized Memorandum of Agreement (MOA) conveying their intent to jointly apply for the scheme, and in case the plots is allotted to them, to form Special Purpose Company, hereinafter called SPC, that will subsequently carry out all its responsibilities as the allotee. The registered MOA must specify the equity share holding of each member of the consortium of in a proposed SPC. The SPC must necessarily be a company registered in India with the appropriate statutory authority.

6.4(e) Execution of the sale deed will be made in favour of the special purpose company (SPC) which should be registered firm or an incorporated company. The lead member of the consortium shall have to retain it's share as per MOA, till the temporary occupancy/completion certificate of at least one phase of the projects is obtained from the authority.

7.00 **TENDER PROCESS:**

7.1 Applicants should submit their technical and financial bids in separate envelopes as in above mention clause No. 6 in tender box kept in GDA conference hall on specified date from 12.00 Noon to 2.00 pm.

7.2 All the technical bids will be examined by the committee formed by Vice Chairmen, who shall declare the list of technically qualified bidders, The

7.3 जिन निविदादाताओं की तकनीकी बिड स्वीकृत की जायेगी, केवल उन्हीं निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जायेगी। तकनीकी बिड स्वीकृत निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोलने/खुली नीलामी कराये जाने की तिथि, समय व स्थान की सूचना अलग से दी जायेगी। जिन निविदादाताओं की तकनीकी बिड स्वीकृत नहीं की जायेगी, उन्हें वित्तीय बिड खोलने की सूचना नहीं दी जायेगी। तकनीकी रूप से अर्ह पाये जाने पर अर्ह निविदादातओं के मध्य खुली नीलामी करायी जायेगी एवं नीलामी के तुरन्त बाद प्राइस बिड निविदादाताओं/बोलीदाताओं के समक्ष खोली जायेगी तथा प्राइस बिड एवं बोली में प्राप्त जो भी दर दोनों में उच्च हो, की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

7.4 अधूरे एवं अपूर्ण निविदा प्रपत्रों को बिना कारण बताए निरस्त कर दिया जायेगा।

7.5 तकनीकी बिड अस्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में किसी भी बिन्दु/आधार पर किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।

7.6 उपाध्यक्ष भूखण्डों की निविदा जनहित/प्राधिकरण हित में स्थगित कर सकते है।

7.7 भूखण्डों की प्राइस बिड में भूखण्ड क्रय करने हेतु ऑफर आरक्षित दर से अधिक देना होगा।

7.8 फर्म/संस्था/कम्पनी अथवा कन्सोर्शियम के आवेदन करने की स्थिति में भागीदारों डायरेक्टर्स/शेयरहोल्डर्स एवं भुगतान हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम एवं सूची उपलब्ध करानी होगी तथा भुगतान हेतु उत्तदायी व्यक्तियों के शपथ पत्र संलग्न करने होगें।

7.9 भूखण्डों का आबंटन फ्रीहोल्ड आधार पर किया जायेगा। नीलामी में जो सर्वोच्च दरें प्राप्त होगीं उनमें प्राप्त दरों का 12 प्रतिषत लीज रेन्ट व फ्रीहोल्ड चार्ज जोड़कर भूखण्ड का मूल्य निर्धारित किया जायेगा। इस प्रकार लीज रेन्ट व फ्रीहोल्ड चार्ज मूल्य के साथ–साथ देय होगा।

7.10 निविदादाता को अपनी वित्तीय निविदा/बोली में दी गई दरें वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।

7.11 निविदा/बोली स्वीकृत होने की दशा में आवंटी को कुल बिड मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि समायोजित करते हुए) आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर, प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी। धनराशि जमा कराने में असफल होने पर 50 प्रतिशत धरोहर राशि जब्त करते हुए भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

7.12 उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को किसी भी निविदा को स्वीकार करने अथवा न करने का पूर्ण अधिकार होगा। उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। उपाध्यक्ष के निर्णय पर किसी भी निविदादाता अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी आपत्ति नहीं की जा सकती है।

7.13 भूखण्डों का क्षेत्रफल अनुमानित है। यदि 10 प्रतिशत तक क्षेत्रफल बढ़ता है तो उसे आबंटी को प्रत्येक दशा में मान्य होगा। 10 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल बढ़ने पर आबंटी को विकल्प होगा कि वह भूखण्ड क्रय करे अथवा जमा सम्पूर्ण

decision of the Vice Chairman. Ghaziabad Development Authority in this regard shall be final and binding on bidders.

7.3 The financial bids of only technically qualified bidders shall be opened subsequently. The technically qualified bidders shall be informed to the date and time of opening of financial bids. The technically unqualified bidders will not be informed regarding the opening of financial bids. an open auction is to be perform amount the technically qualified tenderers. Price bid will be opened just after open auction in the presence of tenderers/auctioners. highest rates between price and open auction will be forward for sanctioned.

7.4 Incompletely filled tender documents will be summarily rejected.

7.5 There will be no correspondence on issues/grounds raised in technically disqualified bids.

7.6 The Vice Chairman may withdraw plots from the tender at any stage in Public/Authority interest without assigning any reason.

7.7 The offer price filled in price bid must be more than reserve price.

7.8 If the applicant/Company/Consortium/firm and Society must be attach a list of Shareholders, directors and the list of person who is responsible for payment. A affidavit also attach with application form in this regard.

7.9 Allotment of plots will be done on free hold basis price will be determined/calculated by adding 12% extra as lease rent & free hold charges thus lease rent & free hold charges will be payable along with cost of plots.

7.10 The tenderers/auctioners shall not be entitled to withdraw his offer price given by him in the tender.

7.11 In case of sanction of tender/auction of property 25% of total bid amount (Including earnest money) must be deposited by the allottee within 30 days from the date of issuing of allotment letter. If allottee does not deposit the amount after allotment, than 50% earnest money will be forfeited and allotment of property will be cancelled.

7.12 The Vice Chairman may accept or reject any tender including the highest tender. His decision shall be conclusive and final, which shall not be questioned by any tenderer/ other person.

7.13 The area of plots is approximate. If the area increases by upto 10 %, it will be acceptable to the allottee in all conditions. if the area increases by more than 10 % the allottee will have the option to

धनराशि बिना कटौती एवं ब्याज के वापस ले ले। क्रय करने की स्थिति में 10 प्रतिशत नीलामी दर पर एवं शेष भूमि नीलामी दर या तत्समय प्रभावी सैक्टर रेट जो भी अधिक हो की दर से देय होगा।

7.14 आवंटी द्वारा भूखण्ड को बन्धक रखकर ऋण प्राप्त किये जाने में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं होगी, परन्तु फ्री–होल्ड निष्पादन से पूर्व आवंटी को भूखण्ड को बन्धक रखने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करनी होगी। बन्धक रखने की प्रक्रिया में हुए व्यय को आवंटी द्वारा स्वयं वहन करना होगा।

7.15 कम्पनी/सोसाइटी/फर्म पंजीकृत कन्सोर्शियम द्वारा आवेदन करने पर आवेदनकर्ता को मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं रेजोल्यूशन लैटर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

7.16 निविदादाताओं/बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि निविदा में भाग लेने से पूर्व स्थल का निरीक्षण एवं निविदा से सम्बन्धित किसी भी प्रक्रिया की जानकारी निविदा डालने से पूर्व अवश्य कर लें। निविदा बॉक्स में निविदा डाले जाने के पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

7.17 यदि किसी आवेदक को नीलामी मे दरें देने हेतु स्वयं भाग न लेकर अपने प्रतिनिधि से इस निमित्त अधिकृत किया जाता है तो उसे विवरण पुस्तिका में संलग्न प्रारूप पर प्राधिकार पत्र संलग्न करना होगा।

8.00 भुगतान की प्रक्रिया एवं कब्जा:

8.1 भूखण्ड की निविदा स्वीकृत होने की दशा में आवंटी को कुल बिड मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर, प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी। धनराशि जमा कराने में असफल होने पर 50 प्रतिशत धरोहर राशि जब्त करते हुए भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

8.2 उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता जिसकी निविदा/बोली उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर ली गयी हो, को शेष राशि का भुगतान प्लान–ए अथवा प्लान–बी द्वारा निम्नानुसार करना होगा–

प्लान–ए

(ए–1) तकनीकी निविदा के साथ निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर–तालिका–1 के अनुसार।

(ए–2) कुल बिड मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) – आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर बिना ब्याज के।

(ए–3) अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र की तिथि से 03 माह के अन्दर बिना ब्याज के।

प्लान–बी

(बी–1) तकनीकी निविदा के साथ निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर–तालिका–1 के अनुसार।

purchase the land or ask for full refund without deduction and interest. In the event of purchase, 10 % at the rate of auction and the balance land auction rate or contemporary applicable sector rate, whichever is higher, will be payable.

7.14 The GDA will have no objection to the allottee raising loan against the plot, but allottee will be bound to take permission from GDA for mortgage of plot before the execution of the freehold deed. However, all expenses for any such conveyance shall be borne by the allottee.

7.15 In case of company/society/firm or their consortium, applicant must submit memorandum of article, registration certificate and resolution letter along with application form.

7.16 Applicants are advised to inspect the site and get the information about any process regarding tender before submitting the tender in the tender box. After submitting the tender no objection will be entertained.

7.17 Any applicant which is not available at the time of Auction of price bid/open auction will have to give authority letter (enclosed in the broucher) to participate his representative.

8.00 MODE OF PAYMENT AND POSSESSION:

8.1 In case of sanction of plot 25% of total bid amount (including earnest money) must be deposited within 30 days from the date of issuance of allotment letter. If allottee does not deposit amount after allotment, then 50% earnest money will be forfeited and allotment of plot will be cancelled.

8.2 The successful tenderer/auctioners, whose tender is accepted by the Vice chairman, GDA, shall deposit balance amount through bank draft/pay-order in favour Vice Chairman, GDA as per plan given below at "A" or "B". Allottee can adopt either of payment plan.

plan-A

(a-1) Bank draft/pay-order as earnest money – as per Table-1, along with technical bid.

(a-2) 25% of total bid amount (including earnest money) within 30 days without interest from the date of issuance of allotment letter.

(a-3) Balance 75% amount within 3 month without interest from the date of issuance of allotment letter.

Plan-B.

(b-1) Bank draft/pay-order as earnest money-as per Table.-1 along with technical bid.

(बी–2) कुल बिड मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) – आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर बिना ब्याज के।

(बी–3) अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि–आवंटन–पत्र की तिथि से (5 करोड़ से कम मूल्य की सम्पत्तियों) 10 छमाही किश्तों में एवं (5 करोड़ से अधिक मूल्य की सम्पत्तियों) में 14 छमाही किश्तों में साधरण ब्याज 11.00 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करना होगा। रू 5 करोड़ से अधिक मूल्य की सम्पत्तियों में प्राधिकरण एवं आवंटी के मध्य एसको एकाउन्ट खोला जायेगा।

(बी–4) यदि आवंटी द्वारा तीन किश्तें निरन्तर जमा नहीं की जाती नहीं की जाती है तो प्रथम एवं अन्तिम नोटिस निर्गत कर किश्तें जमा करने हेतु अनुरोध किया जायेगा। नोटिस निर्गत के एक माह के अन्दर धनराशि जमा नहीं की जाती तो पंजीकरण निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण का होगा।

8.3 प्लान बी के अन्तर्गत किश्त की निर्धारित देय तिथि के बाद 29 दिन का ग्रेस पीरियड अनुमन्य होगा। ग्रेस पीरियड की समाप्ति पर किश्त की देय तिथि से भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से पैनल ब्याज देय होगा। यदि निर्धारित धनराशि देय तिथि से 03 माह के अन्दर धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए 50 प्रतिशत धरोहर राशि एवं डिफाल्टेड राशि पर ब्याज की कटौती करते हुए शेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।

8.4 आयकर विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 31.05.2013 के अनुसार रु० 50.00 लाख से अधिक मूल्य की सम्पत्ति कय पर क्रेता, विक्रेता को एक प्रतिशत टी डी एस कटौती कर भुगतान करेगा। इस प्राविधान हेतु प्राधिकरण के स्थायी खाता संख्या (PAN) AAALG0072C में जमा करते हुए प्राधिकरण को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।

8.5 यदि आवंटी प्लान–ए स्वीकार करता है तो भूखण्ड का कब्जा आवंटी द्वारा सम्पूर्ण राशि (12 प्रतिशत लीज रैंट व फ्री–होल्ड चार्ज सहित) जमा कराने के उपरान्त रजिस्टर्ड विक्रय–विलेख निष्पादित कराकर दिया जायेगा। यदि आवंटी प्लान–बी स्वीकार करता है तो आवंटी को भूखण्ड का कब्जा कुल बिड मूल्य (12 प्रतिशत लीज रैंट व फ्री–होल्ड चार्ज सहित) की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने के उपरान्त रजिस्टर्ड अनुबन्ध–विलेख निष्पादित कराकर दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात आवंटी प्राधिकरण में लागू भवन निर्माण उपविधि/समाचार पत्रों में विज्ञापित/तालिका–1 में अंकित एफ. ए. आर./ग्राउण्ड कवरेज व भूखण्ड के उपयोग के अनुसार प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ कर सकता है। आवंटी को स्वयं के व्यय एवं जोखिम पर भूखण्ड पर योजना प्रकाशित करने का अधिकार होगा, परन्तु प्लान–बी की स्थिति में प्राधिकरण से विक्रय विलेख निष्पादित कराने से पूर्व किसी भी क्रेता को विक्रय की गयी सम्पत्ति (दुकान/भवन, जो लागू हो) हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा।

8.6 आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 3 माह के अन्दर आवेदन कर भुगतान प्लान ए से बी में अथवा प्लान बी से ए में परिवर्तित कराया जा सकेगा।

9.00 **विक्रय–विलेख की शर्तें:**

9.1 आवंटी को 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने के उपरान्त आवंटित भूखण्ड का प्रत्येक दशा में एक माह के अन्दर अपने व्यय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध विलेख निष्पादित कराना अनिवार्य होगा। भूखण्ड के अन्तिम भुगतान की तिथि से 01 माह के अन्दर विक्रय

(b-2) 25% of total bid amount (including earnest money) within 30 days without interest from the date of issuance of allotment letter.

(b-3) Balance 75% amount within 10 half yearly installments when property value of below five crore's with 11% interest and 14 half yearly installments with 11% interest per annum from the issuance of allotment letter. If the value of property above 5 crore's an ascro account must be open between GDA and allttee.

(b-4) If the Allottee Defaulted in continuous three installments allotment should be cancel.

8.3 A further grace period of 29 days form due date shall be permissible for payment under pay plan-B. But any delay after the expiry of grace period shall be liable for payment of interest @ 15% per annum as per actual delay in number of days from the original date of installment . However if due amount is not paid with a period of three months from the expiry of due date, the allotment shall be cancelled and money deposited shall be refunded after deducting 50% of earnest money and interest on defaulting amount.

8.4 In case, the cost of allotted property is more than Rs. 50 lac, according to notification dated 31.05.2013 of income tax department, allotee will have to deduct 1% of due amount as TDS and deposit it in Authority's Permanent Account Number (PAN) AAALG0072C. TDS certificate is to be submitted in the office of Authority.

8.5 If allottee adopts the pay plan-A, possession will be given after depositing full payment, 12% lease rent and freehold charge on total bid amount and registered sale deed executed in his favor. If the allottee adopts in the pay plan-B then possession of plot will be given to the allottee of payment of 25% of the bid amount with 12% lease rent and freehold charge on total bid amount and registered sale agreement of full stamp value executed between GDA and the allottee. Accordingly, after possession, the allottee can plan a scheme for construction on the entire land within the prescribed bye-laws of GDA/as per FAR/ground coverage and land use published in newspapers/mentioned in Table-1 and can get the approval by GDA, the allottee will be entitled to have plan sanctioned by the GDA and start construction. The allottee shall be free to advertise the scheme at his own cost and risk, but in case of plan-B allottee will not transfer any property (shop/flat as the case may be) to any body before sale deed is executed in their favor from GDA.

8.6 Payment plan can be changed " A" to "B" or "B" to "A", if allotte apply for same with in two months from the date of allotment.

9.00 **CONDITIONS OF SALE DEED:**

9.1 The sale deed of plot shall be executed in the performa prescribed by the Authority. The allottee shall execute the sale deed within one month after depositing 25 % allotment amount on his on expenditure. Sale deed/agreement deed should

विलेख/पट्टा विलेख प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निष्पादित कराया जाना अनिवार्य होगा।

9.2 उक्त सम्पत्ति उच्चतम निविदादाता को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटी के रूप में प्रदान की जायेगी जिसके नियम एवं शर्तें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटी के पक्ष में निर्धारित प्रपत्र पर किये गये विक्रय–विलेख के आधार पर होगी।

9.3 भूखण्ड पर भवन का निर्माण गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किये गये मानचित्र के अनुसार किया जायेगा।

9.4 भूखण्ड एवं भूखण्ड पर निर्मित भवन का उपयोग विक्रय विलेख में निर्धारित उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में नहीं किया जायेगा। निविदा हेतु प्रस्तावित भूखण्डों का उपयोग ब्रोशर में अंकित तालिका–1 समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन में उल्लिखित है।

9.5 प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना आवंटी को भूखण्ड को विभाजित करने एवं अन्य किसी भूखण्ड के साथ आमेलित करने का अधिकार नहीं होगा।

9.6 आवंटी कब्जा–पत्र जारी होने की तिथि से समय–समय पर लागू होने वाले समस्त म्युनिसिपल कर तथा अन्य सभी कर, जो सरकारी या किसी स्थानीय निकाय द्वारा समय–समय पर प्रवृत्त नियमों, उपनियमों या उपविधियों के अन्तर्गत किये जायें, का भुगतान करने के लिये स्वयं उत्तरदायी होंगे।

9.7 भूखण्ड की देयता के विरूद्ध बकाया धनराशि को वसूल करने का पूर्ण अधिकार प्राधिकरण को है। प्राधिकरण उक्त धनराशि की वसूली के लिए भू–राजस्व की भांति रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर धनराशि की वसूली कर सकता है।

9.8 किसी भी प्रकार की गलत सूचना या तथ्य छिपाकर भूखण्ड आवंटित होने की जानकारी होने पर या किसी भी नियम एवं शर्तों का उल्लघंन करने पर भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं भूखण्ड तथा उस पर निर्मित भवन का कब्जा प्राधिकरण द्वारा वापिस ले लिया जायेगा, जिसका कोई भी मुआवजा आवंटी को प्रदान नहीं किया जायेगा। इस प्रकार के प्रकरणों में भूखण्ड के कुल मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि आवंटी को किसी भी दशा में वापिस नहीं की जायेगी।

9.9 निर्धारित विशिष्टियो/मानकों के अनुसार जल आपूर्ति, सीवर, ड्रेनेज एवं विद्युत आपूर्ति की लाईन भूखण्ड की सीमा तक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जायेगी। भूखण्ड पर आन्तरिक विकास कार्य आवंटी को स्वयं करना होगा।

9.10 भूखण्डों का आवंटन "जहां है जैसा है" के आधार पर होगा एवं आवंटी को भूखण्ड का कब्जा भी "जहां है जैसा है" के आधार पर दिया जायेगा, जिस पर बाद में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।

9.11 यदि किसी कारणवश प्राधिकरण भूखण्ड का कब्जा देने में सक्षम नहीं होता है तो आवंटी द्वारा जमा सम्पूर्ण धनराशि नियमानुसार प्राधिकरण में प्रचलित साधारण ब्याज के साथ वापस कर दी जायेगी एवं वैकल्पिक भूखण्ड के आंवटन पर विचार नहीं किया जायेगा।

9.12 भूखण्ड के निर्माण हेतु अनुबन्ध विलेख/विक्रय विलेख निष्पादन की तिथि से 05 वर्ष की निर्माण अवधि प्रदान की जायेगी।

be executed on prescribed proforma of GDA within one month of final payment of the property made by the allottee.

9.2 The aforesaid plot shall be held by the highest tenderer as the allottee of the Ghaziabad Development Authority on the terms and condition prescribed by the Authority as contained in the sale deed to be executed by the Authority in favor of allottee.

9.3 Construction shall be made in accordance of plan sanctioned by the Ghaziabad Development Authority.

9.4 The plot or building constructed thereon shall not be used in contravention for a purpose other than specified in the sale deed executed by GDA. The proposed use of plots will be as per Table-1 and advertisement published in newspapers.

9.5 Allottee shall not be entitled to sub-divide the plot or to amalgamate it with any other plot without prior approval of GDA.

9.6 The purchaser shall be liable to pay municipal taxes, all other charges as per every description in respect of the plot whether assessed, charged or imposed on that plot or on the building constructed thereon by government or any other local body.

9.7 Any money due to the GDA from the seller in respect of the plots shall be recoverable as arrears of the land revenue from the buyer besides other modes and rights of recovery.

9.8 If it is found disclosed that the allotment of the plots has been obtained by the suppression of any fact or misstatement of mis-representation of fraud of if there is any breach of any terms and condition, then allotment of plot shall be cancelled and the possession of the plot and construction thereon erected will be resumed by the Authority without any compensation to the purchaser. In such case no purchaser will be entitled for refund of 25% of total cost of the plot.

9.9 The water supply, sewerage, drainage and electricity lines as per specification and standard shall be provided up to the boundary of the property by GDA. The internal work shall be completed by the allottee.

9.10 Plots will be allotted on "AS is-Where is" basis and possession of plot will be given to allottee on "As is-where is" basis also. No objection will be entertained later.

9.11 If the Authority will not deliver possessions of plot due to any circumstances, then as per rule, total amount deposited by the allottee will be refunded with simple interest. Any request for alternate plot will not be entertained.

9.12 The buyer shall construct the building on allotted plot at his own cost within five years form the date

10.1 स्टाम्प ड्यूटी एवं अन्य कर व शुल्क:
भूखण्ड का पंजीकृत अनुबन्ध विलेख/विक्रय विलेख निष्पादित कराने में स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क एवं अन्य किसी शुल्क का भुगतान आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। आवंटी को अचल सम्पत्ति को हस्तानान्तरित कराने का शुल्क, राज्य सरकार, नगर–निगम या किसी सक्षम प्राधिकारी आरोपित अन्य कोई शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा।

10.2 आबंटित सम्पत्ति पर भविष्य में कभी यदि सेवाकर की देयता बनती है तो सेवाकर की धनराशि आबंटी द्वारा अतिरिक्त देय होगी।

11.00 अन्य महत्वपूर्ण शर्तें:

11.1 निविदा, आवंटन, मानचित्र स्वीकृत, निर्माण आदि से सम्बन्धित किसी भी विवाद की दशा में उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

11.2 किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में केवल गाजियाबाद न्यायालय को ही न्याय क्षेत्र का अधिकार प्राप्त होगा।

11.3 यदि आवंटी निर्धारित तिथि तक भूखण्ड का कब्जा प्राप्त नहीं करता है तो निर्धारित तिथि से प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर चौकीदारा शुल्क आवंटी द्वारा देय होगा।

12.00 समर्पण एवं निरस्तीकरण:
यदि भूखण्ड का समर्पण/निरस्तीकरण नियम एवं शर्तों के उल्लघंन के आधार पर किया जाता है तो निम्नानुसार कटौती की जायेगी:–

12.1 आवंटी द्वारा यदि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन अंदर सम्पत्ति के कुल बिड मूल्य (12 प्रतिशत लीजरेन्ट व फ्री–होल्ड अधिभार सहित) की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समयोजित करते हुए) प्राधिकरण कोष में जमा नहीं करायी जाती है तो उसकी 50 प्रतिशत धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

12.2 किसी भी प्रकार के समर्पण/निरस्तीकरण की स्थिति में धरोहर राशि की 50 प्रतिशत धनराशि एवं डिफॉल्टेड राशि पर ब्याज, यदि कोई हो तो, की कटौती करते हुए शेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।

12.3 यदि अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि निर्धारित तिथियों में जमा नही करायी जाती है तो भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए धारा 12.2 के अनुसार कटौती कर ली जायेगी एवं निरस्तीकरण उपरान्त भूखण्ड को निविदा में प्रस्तावित कर दिया जायेगा।

12.4 निविदादाता द्वारा जमा की गई प्रोसेसिंग फीस वापसी योग्य नहीं है। अत: किसी भी दशा में वापसी नहीं की जायेगी।

12.5 सभी रिफण्ड बिना किसी ब्याज के वापस किये जायेंगे।

13.0 नियमानुसार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अधिनियम के प्राविधान लागू होगें।

उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

of agreement to sale/sale deed registration.

10.1 **STAMP DUTIES AND OTHER CHARGES:**
The cost and expenses regarding stamp duty, registration charges of agreement to sale/sale deed or any other such documents required in this behalf including all incidental expenses shall be borne by the allotte. The allottee shall be bound to pay the duty of transfer of immovable property by State Government, Municipal Corporation or any other duty or charge that may be levied by any other authorities.

10.2 Service tax would be payable extra by allottee if applicable in future.

11.00 **MISCELLANEOUS:**

11.1 Decision of the Vice Chairman, Ghaziabad Development Authority will be final in every matter relating to the tender, allotment, sanction of the building plan, construction etc.

11.2 Ghaziabad Courts will have exclusive jurisdiction for adjudication of any disputes.

11.3 If the allottee does not take possession of the plot within due date of possession then allottee shall pay Chaukidara charges as per rules of Ghaziabad Development Authority

12.00 **CANCELATION/SURRENDER:**
If the plot is cancelled because of breach of any condition or is surrendered then following consequences shall occur:

12.1 If allotee dose deposit 25% of total bid (Plus 12% Lease Rent & Free Hold surchare) amount (Including earnest money) within 30 days from the issuance of allotment letter, then 50% earnest money will be forfeited.

12.2 In case of any type cancellation/ surrender the deposited amount will be refunded without any interest after deduction of 25% of the earnest money and interest of defaulting amount.

12.3 If the allottee does not deposit balance 75% amount within stipulated time, then allotment of plot shall be cancelled and refund will be made as per clause 12.2 above and after cancellation of allotment, the plot will be put for tender.

12.4 Processing fee deposited with technical bid by tenderer is not refundable in any condition.

12.5 All refunds shall be made without any interest.

13.0 According to rule Provision of Regulation & Development Act-2016 will be applied (RERA).

VICE CHAIRMAN
GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY
GHAZIABAD

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
GHAZIABAD DEVELOPMEN AUTHORITY

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित ग्रुप हाउसिंग एवं अनावासीय भूखण्डों को टू–बिड सिस्टम द्वारा आवंटन हेतु तकनीकी निविदा आवेदन–पत्र

(पूर्ण रूप से भरा हुआ व हस्ताक्षरित आवेदन पत्र निर्धारित बैंक ड्राफ्ट/पे–ऑर्डर एनैक्सर ए व बी एवं सभी संलग्न के साथ लिफाफा नं 1 में रखकर निविदा बॉक्स में डाला जायेगा)

Technical Bid Application Form for Allotment of Group Housing and Non-Residental Plots in various Schemes of GDA by Two-Bid System

(Duty filled and signed application form including bank draft/pay-order, annexure A & B along with all enclosures must be submitted in tender box in envelope no.1)

आवेदन पत्र संख्या :
Application Form No.

निविदादाता का विवरण
Particulars of the Tenderer

राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित फोटो
Paste a passport size photo attested by Gazetted Officer/ Public Notary

1. आवेदक/कम्पनी/फर्म/सोसाइटी का नाम: ....
Name of the Applicant/Company/Firm/Society (in Block Letters)

2. पिता/पति/अधिकृत हस्ताक्षरी का नाम: ....
Father/Husband/Authorised signatory's Name:

3. यदि निविदा स्वयं या कम्पनी, सोसाइटी, फर्म या ट्रस्ट द्वारा दी जा रही है।
Whether bid is offered for self or company of society or firm or trust etc.

ए यदि निविदा कम्पनी, सोसाइटी, फर्म या ट्रस्ट के लिए दी जा रही हो तो उक्त कम्पनी, सोसाइटी, फर्म या ट्रस्ट में आवेदन का पद एवं निविदा दिये जाने हेतु एथोरिटी लेटर एवं बोर्ड रिजोल्यूशन भी तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना होगा।
If tender is offered for company, society, firm or trust, the status of person in that company, society, firm or trust authorization letter and board resolution for submitting the tender should be submitted along with technical bid.

बी यदि निविदा कम्पनी, सोसाइटी, फर्म या ट्रस्ट के लिए दी जा रही हो तो उक्त कम्पनी, सोसाइटी, फर्म या ट्रस्ट का निबन्धन प्रमाण–पत्र, मैमोरेन्डम ऑफ आर्टिकल, एनैक्सर ए व बी पूर्ण रूप से भरे हुए हस्ताक्षरित तथा सत्यापित सभी संलग्नको सहित तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
If tender is offered for company, society, firm or trust its registration certificate, memorandum of article, annexure A & B duly filled signed, attested with all enclosures must be submitted along with technical bid.

4. उम्र: ....
Age:

5. पूरा पता:
Full Address:

ए. स्थायी पता: ....
Permanent Address

बी. पत्र–व्यवहार का पता: ....
Correspondence Address:

सी. टेलीफोन नं0.......... मोबाईल नं.: ....
Telephone No.: Mobile No.:

डी. ई–मेल पता:..........
E-Mail Address:

आवेदित भूखण्ड का विवरण
Particulars of Plot

1. भूखण्ड संख्या:.......... 2. भूखण्ड का क्षेत्रफल: ....
Plot Number Area of Plot (Sq. mts)

3. भूखण्ड का उपयोग: ....
Use of Plot

4. योजना एवं ब्लॉक/सैक्टर: ....
Name of the Colony & Block/Sector

5. अधिकतम अनुमान्य एफ.ए.आर./ग्राउण्ड कवरेज: ....
Maximum permissible F.A.R./Ground Coverage

6. भुगतान प्लान का विकल्प: ....
Payment Plan Adopt

निविदा का विवरण
Particulars of the Tender

1. निविदा की तिथि..............................
   Date of Tender
2. जमा धरोहर राशि का विवरण डी.डी./पे–आर्डन नं.............................. दिनांक.............................. धनराशि (रू)..............................
   Details of earnest money deposited DD/Pay Order No. Dated Amount (₹)

   जारीकर्ता बैंक व शाखा ....
   Issued by Bank and Branch

3. जमा प्रोसेसिंग फीस का विवरण डी.डी./पे–आर्डर नं.............................. दिनांक.............................. धनराशि (रू)..............................
   Details of deposited Processing Fee DD/Pay Order No. Dated Amount (₹)

   जारीकर्ता बैंक व शाखा ....
   Issued by Bank and Branch

नोटः प्रोसेसिंग फीस वापसी योग्य अथवा समायोजन योग्य नहीं है।
Note: Processing fee is neither returnable nor adjustable.

घोषणा
Declaration

मैं अधोहस्ताक्षरी घोषणा करता हूँ, करती हूँ कि मैंने इस निविदा में एक आवेदक के रूप में अपने/अपनी कम्पनी/संस्था/फर्म/ट्रस्ट की तरफ से उक्त फ्री–होल्ड भूखण्ड के निविदा द्वारा आवंटन किये जाने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नियम एवं शर्तो के अन्तर्गत आवेदन किया है। मैंने उक्त निविदा हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विवरण पुस्तिका में उल्लिखित सभी नियम व शर्तो को भली प्रकार पढ़ एवं समझ लिया है एवं मैं इन सभी नियम व शर्तो से सहमत हूँ। मैं अवशेष प्रीमियम की धनराशि एवं अन्य धनराशि का नियमानुसार भुगतान करूंगा तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के निर्धारित प्रोफार्मा पर निर्धारित शर्तो के अधीन अपने स्वयं के व्यय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय में भूखण्ड का विक्रय विलेख निष्पादित कराऊँगा।

I the undersigned being one of the applicant in the tender, as mentioned above the hereby apply on my behalf/on behalf of the applicant above named to the Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad for allotment of the freehold plot described above, under the Ghaziabad Development Authority rules. I have read and understood all the conditions mentioned in the brochure of tender and hereby unequivocally accept the same. I the intending purchaser(s) will pay the balance of the premium and other amounts and executed the sale deed in the prescribed form in accordance with the said conditions at my own cost within such period as may be decided by the authority.

संलग्नकः
Enclosures:

1. उपरोक्तानुसार डी.डी./पे आर्डर मूलरूप में
   Above Mentioned DD/Pay order in original
2. एनेक्सर–ए सभी संलग्नकों सहित
   Annexure-A along with all enclosures
3. एनेक्सर–बी सभी संलग्नकों सहित
   Annexure-B along with all enclosures
4. नेटवर्थ स्टेटमेन्ट
   Networth statement
5. राष्ट्रीयकृत/शेडयूल्ड बैंक द्वारा जारी बैंक सॉलवेन्सी प्रमाण–पत्र
   Bank Solvency Certificate from a Nationalised/Scheduled Bank
6. ब्रोशर की धारा 3 व 6 में अंकित सभी आवश्यक संलग्नक
   All necessary Enclosures mentioned in Clause 3 & 6

दिनाँक ....
Date

आवेदक के हस्ताक्षर..............................
Signature of the bidder

प्रतिहस्ताक्षरित..............................
Countersigned by
(प्रभारी अधिकरी व्यवसायिक)
Officer in-charge commercial)

पदनाम..............................
On his/her own behalf/on behalf of the applicant

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
GHAZIABAD DEVELOPMEN AUTHORITY

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित ग्रुप हाउसिंग एवं अनावासीय भूखण्डों को टू–बिड सिस्टम द्वारा आवंटन हेतु वित्तीय निविदा आवेदन–पत्र

(पूर्ण रूप से भरा हुआ व हस्ताक्षरित आवेदन पत्र लिफाफा नं 2 में रखकर निविदा बॉक्स में डाला जायेगा)

Price Bid Application Form for Allotment of Group Housing and Non-Residental Plots in various Schemes of GDA by Two-Bid System

(Duty filled and signed application form including bank draft/pay-order, annexure A & B along with all enclosures must be submitted in tender box in envelope no.2)

निविदादाता का विवरण
Particulars of the Tenderer

राजपत्रित अधिकारी / नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित फोटो
Paste a passport size photo attested by Gazetted Officer/ Public Notary

आवेदन पत्र संख्या :...
Application Form No.

1. आवेदक / कम्पनी / फर्म / सोसाइटी का नामः ....
Name of the Applicant/Company/Firm/Society (in Block Letters)
2. पिता / पति / अधिकृत हस्ताक्षरी का नामः ....
Father/Husband/Authorised signatory's Name:
3. उम्रः ....
Age:
4. पूरा पताः
Full Address:
   - ए. स्थायी पताः ....
   Permanent Address
   - बी. पत्र–व्यवहार का पताः ....
   Correspondence Address:
   - सी. टेलीफोन नं0.. मोबाईल नं.: ....
   Telephone No.: Mobile No.:
5. व्यवसायः..
Occupation

आवेदित भूखण्ड का विवरण
Particulars of Plot

1. भूखण्ड संख्याः.. 2. भूखण्ड का क्षेत्रफलः ....
Plot Number — Area of Plot (Sq. mts)
3. योजना एवं ब्लॉक / सैक्टरः ....
Name of the Colony & Block/Sector
4. भुगतान प्लान का विकल्पः ....
Payment Plan Adopt
5. भुगतान क्रय करने हेतु ऑफर (रू / वर्ग मीटर) (अंको में) : ....
Offer of purchase of Plot (₹/sq. mts.) (in words)

घोषणा
Declaration

मैं अधोहस्ताक्षरी घोषणा करता हूँ, करती हूँ कि मैंने इस निविदा में एक आवेदक के रूप में अपने / अपनी कम्पनी / संस्था / फर्म / ट्रस्ट की ओर से उक्त सम्पत्ति के नीलामी द्वारा आवंटन किये जाने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नियम एवं शर्तो के अन्तर्गत आवेदन किया गया है। मैंने उक्त नीलामी हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विवरण पुस्तिका में उल्लेखित सभी नियम व शर्तो को भली प्रकार पढ़ एवं समझा लिया है एवं मैं इन सभी नियम व शर्तो से सहमत हूँ। मैं अवशेष मूल्य की धनराशि एवं अन्य धनराशि प्रोफार्मा पर निर्धारित शर्तो के अधीन जमा करते हुए अपने स्वयं के व्यय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय में भूखण्ड का विक्रय विलेख निष्पादित कराऊँगा।

I the undersigned being one of the applicants in the auction, as mentioned above and hereby apply on my behalf of the applicant above named to the Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad for allotment of the property described above, under the Ghaziabad Development Authority rules. I have read understood all the condition mentioned in the brochure of tender and hereby unequivocally accept the same. I the intending purchaser(s) will pay the balance of the cost and other amounts and be executed with the sale deed in the prescribed form in accordance with the said conditions at my own cost within such period as my be decided by authority.

दिनाँक ....
Date

आवेदक के हस्ताक्षर..
Signature of the bidder

प्रतिहस्ताक्षरित..
Countersigned by
(प्रभारी अधिकरी व्यवसायिक)
Officer in-charge commercial)

पदनाम..
On his/her own behalf/on behalf of the applicant

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
GHAZIABAD DEVELOPMEN AUTHORITY

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित ग्रुप हाउसिंग एवं अनावासीय भूखण्डों को टू–बिड सिस्टम द्वारा आवंटन हेतु वित्तीय निविदा आवेदन–पत्र

Price Bid Application Form for Allotment of Group Housing and Non-Residental Plots in various Schemes of GDA by Two-Bid System

आवेदन पत्र संख्या :..
Application Form No.

नीलामीदाता का विवरण
Particulars of the Auctioneer

राजपत्रित अधिकारी / नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित फोटो
Paste a passport size photo attested by Gazetted Officer/ Public Notary

1. आवेदक / कम्पनी / फर्म / सोसाइटी का नाम: ....
Name of the Applicant/Company/Firm/Society (in Block Letters)
2. पिता / पति / अधिकृत हस्ताक्षरी का नाम: ....
Father/Husband/Authorised signatory's Name:
3. उम्र: ....
Age:
4. पूरा पता:
Full Address:
    ए. स्थायी पता: ....
    Permanent Address
    बी. पत्र–व्यवहार का पता: ....
    Correspondence Address:
    सी. टेलीफोन नं0.. मोबाईल नं.: ....
    Telephone No.: Mobile No.:
5. व्यवसाय:..
Occupation

आवेदित भूखण्ड का विवरण
Particulars of Plot

1. भूखण्ड संख्या:.. 2. भूखण्ड का क्षेत्रफल: ....
Plot Number Area of Plot (Sq. mts)
3. योजना एवं ब्लॉक / सैक्टर: .... 4. भुगतान प्लान का विकल्प: ....
Name of the Colony & Block/Sector Payment Plan Adopt
5. नीलामी का विवरण
    (i) नीलामी की तिथि Date of Auction : ....
    (ii) पूर्व में जमा धनराशि का विवरण Details of earnest of money already deposited ....

घोषणा
Declaration

मैं अधोहस्ताक्षरी घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मैंने इस निविदा में एक आवेदक के रूप में अपने / अपनी कम्पनी / संस्था / फर्म / ट्रस्ट की ओर से उक्त सम्पत्ति के नीलामी द्वारा आवंटन किये जाने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नियम एवं शर्तों के अन्तर्गत आवेदन किया है। मैंने उक्त नीलामी हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विवरण पुस्तिका में उल्लिखित सभी नियम व शर्तों को भली प्रकार पढ़ एवं समझा लिया है एवं मैं इन सभी नियम व शर्तों से सहमत हूँ। मैं अवशेष मूल्य की धनराशि एवं अन्य धनराशि प्रोफार्मा पर निर्धारित शर्तों के अधीन जमा करते हुए अपने स्वयं के व्यय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय में भूखण्ड का विक्रय विलेख निष्पादित कराऊँगा।

I the undersigned being one of the applicants in the auction, as mentioned above and hereby apply on my behalf of the applicant above named to the Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad for allotment of the property described above, under the Ghaziabad Development Authority rules. I have read understood all the condition mentioned in the brochure of tender and hereby unequivocally accept the same. I the intending purchaser(s) will pay the balance of the cost and other amounts and be executed with the sale deed in the prescribed form in accordance with the said conditions at my own cost within such period as my be decided by authority.

दिनाँक .... आवेदक के हस्ताक्षर..
Date Signature of the bidder

प्रतिहस्ताक्षरित..
Countersigned by
(प्रभारी अधिकरी व्यवसायिक)
Officer in-charge commercial)

पदनाम..
On his/her own behalf/on behalf of the applicant